संख्या-96 /2023/1562/30-3-23-15बी/2012

प्रेषक,

के0पी0 सिंह,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

परिवहन आयुक्त,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

परिवहन अनुभाग-3 लखनऊ दिनॉक 18 जुलाई, 2023

विषय- परिवहन अधिकारियों के प्रवर्तन कार्य हेतु अनुमन्य 121 किराये के वाहनों की अनुमन्यता बढ़ाये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-103/स्टोर्स/इन्फ/2023-28इन्फ/2012-।।, दिनॉक 26-05-2023 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा राजस्व वसूली हेतु प्रवर्तन कार्य के लिये वाहन किराए पर लिए जाने की व्यवस्था के अन्तर्गत 121 किराये के वाहनों की अनुमन्यता अग्रेतर 01 वर्ष (दिनांक 01-04-2023 से 31-03-2024 तक) के लिये बढ़ाये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- उल्लेखनीय है कि राजस्व वृद्धि हेतु प्रवर्तन कार्य के लिये शासनादेश संख्या-2275/30-3-2012-15बी/2012, दिनॉक 30-08-2012, शासनादेश संख्या-1484/30-3-13-15बी/2012, दिनॉक 18-06-2013 एवं शासनादेश संख्या-6/131/30-3-2014-4बी/2013, दिनॉक 13-01-2014 एवं शासनादेश संख्या-76/2643/30-3-14-15बी/2012, दिनॉक 17-10-2014 द्वारा दिनॉक 31-03-2015 तक 60 वाहनों को किराए पर लिए जाने की तथा शासनादेश संख्या-6/3590/30-3-14-15बी/2012, दिनॉक 14-01-2015, शासनादेश संख्या-37/798/30-3-15-15बी/2012, दिनॉक 27-04-2015 एवं शासनादेश संख्या-89/2015/2239/30-3-15-15बी/2012, दिनॉक 23-11-2015 के द्वारा कुल 121 वाहनों को दिनॉक 30-09-2015 तक, शासनादेश संख्या-89/2015/2239/30-3-15-15बी/2012 दिनॉक 23-11-2015 द्वारा दिनॉक 31-03-2016 तक, शासनादेश संख्या-33/2017/840/30-3-17-15बी/2012 दिनॉक 17-05-2017 द्वारा दिनॉक 01-04-2016 से 31-03-2017, शासनादेश संख्या-37/2017/1294/30-3-17-15बी/2012 दिनॉक 23-06-2017 तक, शासनादेश संख्या-56/2018/971/30-3-18-15बी/2012 दिनॉक 27-04-2018 द्वारा दिनॉक 01-04-2018 से 31-03-2019 तक, शासनादेश संख्या-103/2019/1347/30-3-19-15बी/2012 दिनॉक 08-07-2019 द्वारा दिनॉक 01-04-2019 से 31-03-2020 तक, शासनादेश संख्या-52/2020/1431/30-3-20-15बी/2012 दिनॉक 15-07-2020 द्वारा दिनॉक 01-04-2020 से 31-03-2021 तक, शासनादेश संख्या-29/2022/353/30-3-22-15बी/2012टीसी, दिनॉक 29-03-2022 द्वारा दिनॉक 01-04-2021 से 31-03-2022 तक एवं शासनादेश संख्या-115/2022/3222/30-3-22-15बी/2012, दिनांक 08-12-2022 द्वारा दिनॉक 01-04-2022 से 31-03-2023 तक के लिये 121 वाहनों को प्रवर्तन कार्य हेतु किराये पर लिये जाने की अनुमति प्रदान की गयी है।

3- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उपरोक्त शासनादेशों दिनॉक 30-08-2012, दिनॉक 18-06-2013 व दिनॉक 13-01-2014 में निहित शर्तों व प्रतिबन्धों के अधीन राजस्व वृद्धि हेतु प्रवर्तन कार्य के लिए कुल 121 वाहन दिनॉक 01-04-2023 से दिनॉक 31-03-2024 तक के लिए किराए पर लिए जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

(1) वित्तीय वर्ष 2023-24 हेतु परिवहन विभाग की राजस्व प्राप्ति का लक्ष्य के सापेक्ष शत-प्रतिशत प्राप्ति सुनिश्चित की जायेगी।

(2) उक्त के अतिरिक्त दिनॉक 01-04-2023 से दिनॉक 31-03-2024 की अवधि के दौरान वास्तविक प्राप्तियों का निर्धारित लक्ष्य के सापेक्ष मूल्यांकन किये जाने के उपरांत ही भविष्य में इस व्यवस्था को आगे बढ़ाये जाने पर विचार किया जायेगा।

4- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष-2023-24 में अनुदान संख्या-43 के राजस्व पक्ष के अन्तर्गत लेखाशीर्ष-"3055-सडक परिवहन-001-निदेशन तथा प्रशासन-03-अधिष्ठान व्यय-15-गाडियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद" के नामे डाला जायेगा।

5- यह आदेश वित्त विभाग के अशा0सं0-ई-9-112-X-2023-24, दिनॉक 12 जुलाई, 2023 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,
ह0/-
(के0पी0 सिंह)
विशेष सचिव।

संख्या-96/2023/1562(1)/30-3-2023, तददिनॉक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2- महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
3- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
4- वित्त नियंत्रक, कार्यालय परिवहन आयुक्त, लखनऊ।
5- निदेशक, वित्तीय एवं सांख्यिकीय निदेशालय, लखनऊ।
6- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-9/वित्त संसाधन (सामान्य) अनुभाग।
7- वित्त (लेखा) अनुभाग-1
8- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
ह0/-
(रेनू वर्मा)
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।